न्यायालय लैण्ड रेकर्ड ओफिसर (एस.डी.ओ.) सिरोही राज.
बईजलास पीठासीन अधिकारी हंसमुख कुमार, आर.ए.एस.

रा.प्रा.पत्र सं. 34/2018

प्रार्थी बनाम अप्रार्थी

गंगासिंह पुत्र हुकमसिंह जी देवडा
आयु 49 साल पेशा खेती जाति राजपूत
निवासी सनपुर तहसील सिरोही जि.सिरोही
मृतक के कानुनी वारीसान :–

1/1 जितेन्द्रसिंह पुत्र गंगासिंहजी आयु व्यस्क
आयु व्यस्क पेशा खेती नि. सनपुर
तहसील सिरोही जिला सिरोही

1/2 पिन्टाकुंवर पत्नि भरतसिंह पुत्री गंगासिंह
आयु व्यस्क पेशा खेती नि.भीनमाल
तहसील भीनमाल जिला जालौर

1/3 देसुकुंवर बेवा पत्नि गंगासिंह आयु व्यस्क
जाति राजपूत पेशा खेती नि.सनपुर
तहसील सिरोही जिला सिरोही

1/4 छोटुसिंह पुत्र गंगासिंहजी जाति राजपूत
आयु 15 वर्ष पेशा पढाई नि.सनपुर

1/5 पायलकुंवर पुत्री गंगासिंह जाति राजपूत
आयु 06 वर्ष नि.सनपुर तह.सिरोही

प्रार्थी संख्या 1/4 छोटुसिंह और प्रार्थी सं.1/5
पायलकुंवर नाबालिंग जरिये कुदरती वली माता
देसुकुंवर बेवा पत्नि गंगासिंह देवडा जाति राजपूत
निवासी सनपुर तहसील सिरोही जिला सिरोही

राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार
सिरोही जिला सिरोही

उपस्थित :–

1– प्रार्थीगण की ओर से विद्वान वकील श्री ऋषि माथुर
2– अप्रार्थी स्टेट तहसीलदार, सिरोही की ओर से पैरोकार सरकार

राजस्व प्रार्थनापत्र अर्न्तगत धारा 136 राज.भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत
वास्ते राजस्व रेकर्ड मे दुरूस्ती करवाने ।

निर्णय दिनांक 19–2–2019

प्राथीगण ने जरिये वकील यह राजस्वप्रार्थनापत्र अर्न्तगत धारा 136 राज.भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत विरूद्व अप्रार्थी राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, सिरोही वास्ते राजस्व रेकर्ड मे दुरूस्ती करवाने का इस न्यायालय मे दिनांक 27–2–2018 को पेश किया जिसका संक्षेप मे तथ्यात्मक विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी ने अपने उक्त प्रार्थनापत्र के माध्यम से यह निवेदन किया कि प्रार्थी के खातेदारी एवं कब्जे काश्त की कृषि भूमि ग्राम सनपुर पटवार हल्का सनपुर तहसील सिरोही जिला सिरोही मे जमाबंदी संवत 2071 से 2074 के खाता संख्या 72 के खसरा नंबर 1861 क्षैत्रफल 00.2000 हेक्टेयर, खसरा नंबर 1863 क्षैत्रफल 00.3800 हेक्टेयर व खसरा नंबर 1868 क्षैत्रफल 00.7100 हैक्टेयर कुल खसरा 3 रकबा 1.2900 हेक्टेयर आई हुई है। वर्णित कृषि भूमि के भू–प्रबन्ध से पूर्व के पुराने खसरा नंबर 1265/1532, 1266मी. 1270 है। उक्त पुराने व नये खसरा नंबर के मिलान क्षैत्रफल की नकल प्रार्थनापत्र के साथ संलग्न है। वर्णित कृषि भूमि की खातेदारी राजस्व रेकर्ड जमाबंदी मे प्रार्थी के नाम से बतौर खातेदार अंकित चली आ रही है। सेटलमेण्ट के पश्चात बने राजस्व नक्शा ट्रेस

हेक्टेयर) और खसरा नंबर 1863/1868 होते है। प्रार्थी के कब्जे काश्त अनुसार खसरा नंबर 1863/1868 तो राजस्व रेकर्ड मे सही अंकित हुये है लेकिन सेटलमेण्ट के दौरान राजस्व कर्मचारियों ने लापरवाही पूर्वक तरीके से प्रार्थी के उपरोक्त कब्जे काश्त की कृषि भूमि खसरा नंबर 1862 मेसे एबीसीडी भू भाग रकबा 0.2000 हेक्टेयर को तो राजकीय बिलानाम कृषि भूमि अंकित कर दी है और प्रार्थी के खातेदारी मे खसरा नंबर 1861 की कृषि भूमि अंकित कर दी है जो प्रार्थी के कब्जे काश्त की कृषि भूमि से दूर स्थित है जिससे प्रार्थी के खातेदारी हक अधिकारों के प्रति व कई अन्य कार्यो मे शंका उत्पन्न हो रही है। गांव सनपुर मे पुराना खसरा नंबर 1265 मी. एक बडे चक के रूप मे स्थित रहा है जिससे उपरोक्त राजकीय बिलानाम भूमि मेसे कब्जे काश्त अनुसार काश्तकारों को भूमि के टुकडों का आवंटन होता रहा है। पुराना खसरा नंबर 1265 मी. मेसे 0.2000 हेक्टेयर भूमि का आवंटन पूर्व के खातेदार धरमाजी सुथार को हुआ था और आवंटन के दि नही उपरोक्त आवंटित (0.2000 हेक्टेयर) 01 बीघा 05 विस्वा कृषि भूमि का कब्जा भी धरमाजी सुथार को राजस्व कर्मचारियों द्वारा करवाया गया था । उक्त आवंटित भूमि मेसे धरमाजी को खसरा नंबर 1862 मेसे एबीसीडी भू भाग पर काबिज कराया था तब से धरमाजी का खसरा नंबर 1862 मेसे एबीसीडी भू भाग पर कब्जा काश्त और हक अधिकार लगातार बिना रूकावट और शान्तिपूर्वक तरीके से रहा हैहै। धरमाजी ने उक्त भूमि देवेन्द्रसिंह को और देवेन्द्रसिंह ने उक्त भूमि झाबरसिंह को और झाबरसिंह ने उक्त भूमि प्रार्थी को विक्रय की है तब से प्रार्थी का कब्जा काश्त नये नक्शे अननुसार खसरा नंबर 1862 मेसे एबीसीडी भू भाग पर ही चला आ रहा है लेकिन राजस्व कर्मचारियेां द्वारा उपरोक्त त्रुटिपूर्ण अंकन से प्रार्थी को कइ समस्याओं का सामना करना पड रहा है जिसे दुरूस्त किया जाना न्यायहित मे अतिआवश्यक है। तथा राज्य सरकार से मिलने वाली योजनाओं का लाभ भी प्रार्थी को नही मिल रहा है तथा राजकीय कार्यो मे रूकावट भी पैदा हो रही है। अतः प्रार्थी का यह प्रार्थनापत्र बाद सुनवाई स्वीकार फरमाकर प्रार्थी के खातेदारी एवं कब्जे काश्त की कृषि भूमि जिसके पुराने खसरा नंबर 1265/1532 है के स्थान पर नक्शा ट्रेस के अनुसार व अडौस पडौस की स्थिति अनुसार नये खसरा नंबर 1862 मेसे एबीसीडी भू भाग (0.2000 हेक्टेयर) अंकित किये जावे और प्रार्थी के कब्जे काश्त अनुसार प्रार्थी के खातेदारी मे नये खसरा नंबर 1862 मेसे एबीसीडी भू भाग (0.2000 हेक्टेयर) राजस्व रेकर्ड मे अंकित एवं तरमीम किये जावे और साथ ही खसरा नंबर 1861 रकबा 0.2000 हेक्टेयर की कृषि भूमि को राजकीय बिलानाम संशोधित किये जाने व उसके अनुसार राजस्व रेकर्ड मे अमल दरामद किये जाने का आदेश पारित करना फरमावें ।

प्रार्थीगण द्वारा उक्त प्रार्थनापत्र के साथ जमाबंदी संवत 2071 से 2074 के खाता संख्या 72 के खसरा नंबर 1861/1863/1868 की नकल/जमाबंदी संवत 2050 से 2053 के खाता संख्या 19 पुराने खसरा नंबर 1265/1532/1266/1270 की नकल /नक्शा ट्रेस नया/नक्शा ट्रेस पुराना मिलान क्षैत्रफल/जमाबंदी संवत 2071 से 2074 के खाता नंबर 01 के खसरा नंबर 1862 की नकल का गहनतापूर्वक अध्ययन कर उस पर मनन किया तो न्यायालय प्रार्थनापत्र मे अंकित तथ्यों से प्रथम दृष्टयॉ आश्वस्त होने से दिनांक 27–2–2018 को दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी स्टेट तहसीलदार/सिरोही को जवाब पेश करने हेतु नोटिस जारी किया गया । जिस पर उक्त नोटिस तामिल होकर इस न्यायालय मे सुनवाई पेशी दिनांक 23–3–2018 को प्राप्त होने से शामिल मिसल किया गया तथा अप्रार्थी तहसीलदार /सिरोही ने भी जरिये पत्र कमांक 187 दिनांक 14–3–2018 के द्वारा जवाब पेश करने से शामिल मिसल किया गया ।

अप्रार्थी तहसीलदार/सिरोही ने अपने उक्त जवाब के माध्यम से यह कथन किया कि ग्राम सनपुर की जमाबंदी संवत 2071–2074 के खाता संख्या 72 अनुसार खसरा नंबर 1861/1863/1868 रकबा कमशः 0.2000 हेक्टेयर/0.3800 हेक्टेयर व 0.7100 हेक्टेयर कुल किता 3 कुल रकबा 1.2900 हेक्टेयर श्री गंगासिंह पुत्र हुकमसिंह जाति राजपूत के नाम पर राजस्व रेकर्ड मे बतौर खातेदार दर्ज है। जमाबंदी नकल संलग्न है। उक्त प्रार्थनापत्र के बिन्दु संख्या 2 का कथन सत्य होना बताया है। प्रार्थनापत्र के पद

1265 मी. है अर्थात गत भूप्रबन्ध के खसरा नंबर 1265 से नवीन भूप्रबन्ध के खसरा नंबर 1861/1862 बने है। गत भूप्रबन्ध के नक्शे मे आवेदक के नाम कृषि भूमि का राजस्व नक्शे मे तरमीम नही था । नवीन भूप्रबन्ध के नक्शे मे भूप्रबन्ध विभाग द्वारा की गई तरमीम पर उसका कभी भी कब्जा व काश्त नही रहा है। आवेदक की अन्य खातेदारी भूमि से भूप्रबन्ध विीाग द्वारा तरमीम किया गया खसरा नंबर 1861 काफी दूर स्थित है तथा प्रार्थी उक्त खसरा नंबर को एबीसीडी अनुसार खसरा नंबर 1862 मे रकबा 0.20 हेक्टेयर दुरूस्त करवाना चाहता है जो प्रार्थी के खातेदारी भूमि के पास स्थित है तथा दोनो खसरा नंबर गत भूप्रबन्ध मे खसरा नंबर 1265 मी. से बने है। प्रा.पत्र के पद संख्या 4 के सम्बन्ध मे कथन किया कि गत भूप्रबन्ध के खसरा संख्या 1265 मी. एक बडे चक के रूप मे था तथा उसमे से ही 0.20 हेक्टेयर भूमि का आवंटन हुआ था । भूमि आवंटन के सम्बन्ध मे प्रार्थी स्वंय सिद्व करना बताया है। प्रार्थनापत्र के पद संख्या 5 के सम्बन्ध मे निवेदन किया कि प्रार्थी की कृषि भूमि खसरा नंबर 1861 रकबा 0.20 हेक्टेयर पुराने खसरा नंबर 1265/1532 रकबा 0.20 हेक्टेयर थे तथा राजकीय बिलानाम भूमि खसरा नंबर 1862 के पुराने खसरा नंबर 1265 मी. थे तथा उक्त खसरा नंबर 1265मी. एक बडे चक के रूप मे था जो प्रार्थी की वर्तमान अन्य खातेदारी भूमि खसरा नंबर 1863/1868 से दूर स्थित है। तथा प्रस्तावित आवेदक द्वारा बताये कब्जे अनुसार खसरा नंबर 1862 मेसे रकबा 0.20 हेक्टेयर नक्शे व राजस्व रेकर्ड मे दुरूस्त करवाना चाहा हैं प्रार्थनापत्र के शेष पइ संख्या 7 से 11 तक माननीय न्यायालय से संबंधित होना तहसीलदार/सिरोही ने बताया है।

विचारण प्रकरण मे न्यायालय द्वारा खसरा नंबर 1861 की मौके एवं रेकर्ड के आधार पर वर्तमान वस्तुस्थिति को रेकर्ड पर लेने हेतु न्यायालय ने जरिये पत्रांक 1615 दिनांक 26–3–2018 के द्वारा तहसीलदार/सिरोही से मौका निरीक्षण रिर्पोट चाही गई जिस पर तहसीलदार/सिरोही ने जरिये पत्र क्रमांक 1419 दिनांक 28–3–2018 के संलग्न पटवारी हल्का सनपुर द्वारा दिनांक 28–3–2018 को प्रार्थी व अन्य मौतबिरान की उपस्थिति मे मौका निरीक्षण किया गया उक्त मौका निरीक्षण के मुताबिक मौके पर प्रार्थी गंगासिंह पुत्र हुकमसिंह राजपूत निवासी सनपुर उपस्थित आयु । राजस्व रेकर्ड अनुसार जमाबंदी खाता संख्या 72 ग्राम सनपुर के अनुसार खसरा नंबर 1861 रकबा 0.2000 हेक्टेयर भूमि पप्रार्थी गंगासिंह पुत्र हुकमसिंह राजपूत निवासी सनपुर की खातेदारी भूमि है। मौके पर प्रार्थी ने खसरा नंबर 1862 रकबा 2.67 हेक्टेयर राजकीय बिलानाम भूमि मेसे 0.2500 हैक्टेयर भूमि पर प्रार्थी ने बाड बनाकर कब्जा किया हुआ है तथा मौतबिरान ने बताया कि उक्त कब्जा काफी पुराना है। मौके पर खसरा नंबर 1861 रकबा 0.2000 हेक्टेयर भूमि पडत पडी है जिस पर प्रार्थी का कब्जा व काश्त नही है। मौतबिरानों ने बताया कि उक्त भूमि पर प्रार्थी का कब्जा कभी भी नही रहा है। अतः मौका अनुसार खसरा नंबर 1862 मे राजकीय बिलानाम भूमि पर प्रार्थी का कब्जा है तथा प्रार्थी के खातेदारी भूमि खसरा संख्या 1861 रकबा 0.2100 हेक्टेयर पडत पडी होना पटवारी हल्का सनपुर ने बताया है।

विचारण प्रकरण मे सुनवाई पेशी दिनांक 6–4–2018 को न्यायालय मे सुनवाई के दौरान वकील प्रार्थी द्वारा फोर्म नंबर 3 के संलग्न जमाबंदी संवत 2022 से 2025/जमाबंदी संवत 2026 से 2029 व जमाबंदी संवत 2030 से 2033 तथा जमाबंदी संवत 2032 से 2036 की प्रमाणित प्रतियॉ पेश करने से शामिल मिसल किया गया ।

इस न्यायालय मे विचारण प्रकरण मे सुनवाई पेशी दिनांक 15–6–2018 को दौराने सुनवाई तहसीलदार/सिरोही ने रिर्पोट प्रस्तुत कर अवगत कराया है कि ग्राम सनपुर के प्रार्थी गंगासिंह पुत्र हुकमसिंह राजपूत नि.सनपुर ने विचारण प्रार्थनापत्र प्रस्तुत कर ग्राम सनपुर के खसरा नंबर 1861 मे संशोधन हेतु निवेदन किया है। ग्राम सनपुर के खसरा नंबर 1861 पर प्रार्थी का कब्जा व काश्त नही होना पाया । पूर्व मे भी मोका निरीक्षण किया गया था । ग्राम सनपुर के खसरा नंबर 1862 के आंशिक भाग पर कब्जा व काश्त पाया गया । प्रार्थी के नाम अन्य खातेदारी कृषि भूमि खसरा नंबर 1863 व 1868 है उक्त खसरा नंबर 1863/ 186 व 1868 की भूमि से लगती हुई है। ग्राम सनपुर के खसरा नंबर 1861 व 1862 गत भूप्रबन्ध के खसरा संख्या 1265 से बना है। अतः खसरा संख्या 1861 के स्थान पर खसरा नंबर 1862 मे रकबा 0.20 हेक्टेयर का संशोधन

किया जाने के लिये कार्यवाही करना फरमाया जाना उचित रहेगा । प्रार्थी गंगासिंह की दिनांक 23–5–2018 को मृत्यु हो चुकी है। अतः उक्त मृतक के वारिसान को रेकर्ड पर लिया जाना उचित होगा । जिस पर वकील प्रार्थी ने दिनांक 15–6–2018 को प्रार्थनापत्र आदेश 22 नियम 3 सीपीसी का व आदेश 6 नियम 17 सीपीसी तथा संशोधित अनवान पेश किया जिसे शा.मि. किया गया ।

प्रकरण मे न्यायालय मे दिनांक 23–7–2018 को विचारण प्रार्थनापत्र अर्न्तगत धारा 136 राज.भू राजस्व अधिनियम 1956 पर दौराने सुनवाई वकील प्रार्थी प्रार्थनापत्र आदेश 7 नियम 14(3) सीपीसी के संलग्न प्रार्थी मृतक गंगासिंह के वारिसान जितेन्द्रसिंह पुत्र/पिन्टाकुंवर पुत्री गंगासिंह देसुकुवर पत्नि गंगासिंह की ओर से वकालतनामा तथा फार्म नंबर 3 वर्णित दस्तावेजात प्रतियॉ क्रमशः तरमीमशुदा नक्शा/तहसील कार्यालय सिरोही का पत्र क्रमांक/रेकर्ड/2018/171 दिनांक 18–7–2018 तथा विक्रय विलेख दिनांक 9–1–2014 की प्रमाणित प्रतियॉ पेश करने से शामिल मिसल किया गया । दौराने सुनवाई वकील प्रार्थी तथा अप्रार्थी स्टेट तहसीलदार/सिरोही की ओर से पैरोकार सरकार (नायब तहसीलदार/सिरोही) द्वारा प्रार्थनापत्र आदेश 22 नियम 3 सीपीसी व आदेश 6 नियम 17 सीपीसी पर बहस करने से बहस सुनकर उस पर मनन किया । विचारण प्रकरण को गुणावगुण के आधार पर निस्तारण करने की दृष्टि से न्यायहित मे प्रार्थी गंगासिंह मृतक के वारिसान को रेकर्ड पर लेकर उनको सुनना न्यायहित मे आवश्यक है। ताकि किसी पक्षकार के साथ अन्याय नही हो । इसको मध्यनजर रखते हुये प्रार्थनापत्र आदेश 22 नियम 3 सीपीसी व आदेश 6 नियम 17 सीपीसी का न्यायहित मे स्वीकार किया जाता है तथा मृतक प्रार्थी गंगासिंह के वारिसान को पक्षकारान बहैसियत प्रार्थी संख्या 1/1 से 1/5 तक बनाने का आदेश दिया जाता है तथा वकील प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत संशोधित अनवान को रेकर्ड पर लिया जाने का भी आदेश दिया जाता है।

प्रकरण मे न्यायालय मे दिनांक 13–2–2019 को विचारण प्रार्थनापत्र अर्न्तगत धारा 136 राज.भू राजस्व अधिनियम 1956 पर दौराने सुनवाई वकील प्रार्थी व अप्रार्थी स्टेट तहसीलदार/सिरोही की ओर से पैरोकार सरकार (नायब तहसीलदार सिरोही) द्वारा अंतिम बहस करने से अंतिम बहस सुनी गई ।

वकील प्रार्थीगण ने अपनी बहस मे प्रार्थनापत्र मे अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि प्रार्थी के खातेदारी एवं कब्जे काश्त की कृषि भूमि ग्राम सनपुर पटवार हल्का सनपुर तहसील सिरोही जिला सिरोही मे जमाबंदी संवत 2071 से 2074 के खाता संख्या 72 के खसरा नंबर 1861 क्षैत्रफल 00.2000 हेक्टेयर/खसरा नंबर 1863 क्षैत्रफल 00.3800 हेक्टेयर व खसरा नंबर 1868 क्षैत्रफल 00.7100 हैक्टेयर कुल खसरा 3 रकबा 1.2900 हेक्टेयर आई हुई है। वर्णित कृषि भूमि के भू–प्रबन्ध से पूर्व के पुराने खसरा नंबर 1265/1532/1266मी. 1270 है। उक्त पुराने व नये खसरा नंबर के मिलान क्षैत्रफल की नकल प्रार्थनापत्र के साथ संलग्न है। वर्णित कृषि भूमि की खातेदारी राजस्व रेकर्ड जमाबंदी मे प्रार्थी के नाम से बतौर खातेदार अंकित चली आ रही है। सेटलमेण्ट के पश्चात बने राजस्व नक्शा ट्रेस के अनुसार व अडौस पडौस की स्थिति अनुसार उपर वर्णित प्रार्थी के खातेदारी एवं कब्जे काश्त की कृषि भूमि के नये खसरा नंबर 1862 मेसे एबीसीडी भू भाग (0.2000 हेक्टेयर) और खसरा नंबर 1863/1868 होते है। प्रार्थी के कब्जे काश्त अनुसार खसरा नंबर 1863/1868 तो राजस्व रेकर्ड मे सही अंकित हुये है लेकिन सेटलमेण्ट के दौरान राजस्व कर्मचारियों ने लापरवाही पूर्वक तरीके से प्रार्थी के उपरोक्त कब्जे काश्त की कृषि भूमि खसरा नंबर 1862 मेसे एबीसीडी भू भाग रकबा 0.2000 हेक्टेयर को तो राजकीय बिलानाम कृषि भूमि अंकित कर दी है और प्रार्थी के खातेदारी मे खसरा नंबर 1861 की कृषि भूमि अंकित कर दी है जो प्रार्थी के कब्जे काश्त की कृषि भूमि से दूर स्थित है जिससे प्रार्थी के खातेदारी हक अधिकारों के प्रति व कई अन्य कार्यो मे शंका उत्पन्न हो रही है। गांव सनपुर मे पुराना खसरा नंबर 1265 मी. एक बडे चक के रूप मे स्थित रहा है जिससे उपरोक्त राजकीय बिलानाम भूमि मेसे कब्जे काश्त अनुसार काश्तकारों को भूमि के टुकडों का आवंटन होता रहा है।

हेक्टेयर) 01 बीघा 05 विस्वा कृषि भूमि का कब्जा भी धरमाजी सुथार को राजस्व कर्मचारियों द्वारा करवाया गया था । उक्त आवंटित भूमि मेसे धरमाजी को खसरा नंबर 1862 मेसे एबीसीडी भू भाग पर काबिज कराया था तब से धरमाजी का खसरा नंबर 1862 मेसे एबीसीडी भू भाग पर कब्जा काश्त और हक अधिकार लगातार बिना रूकावट और शान्तिपूर्वक तरीके से रहा हैहै। धरमाजी ने उक्त भूमि देवेन्द्रसिंह को और देवेन्द्रसिंह ने उक्त भूमि झाबरसिंह को और झाबरसिंह ने उक्त भूमि प्रार्थी को विक्रय की है तब से प्रार्थी का कब्जा काश्त नये नक्शे अननुसार खसरा नंबर 1862 मेसे एबीसीडी भू भाग पर ही चला आ रहा है लेकिन राजस्व कर्मचारियेां द्वारा उपरोक्त त्रुटिपूर्ण अंकन से प्रार्थी को कइ समस्याओं का सामना करना पड रहा है जिसे दुरूस्त किया जाना न्यायहित मे अतिआवश्यक है। तथा राज्य सरकार से मिलने वाली योजनाओं का लाभ भी प्रार्थी को नही मिल रहा है तथा राजकीय कार्यो मे रूकावट भी पैदा हो रही है। अतः प्रार्थी का यह प्रार्थनापत्र बाद सुनवाई स्वीकार फरमाकर प्रार्थी के खातेदारी एवं कब्जे काश्त की कृषि भूमि जिसके पुराने खसरा नंबर 1265/1532 है के स्थान पर नक्शा ट्रेस के अनुसार व अडौस पडौस की स्थिति अनुसार नये खसरा नंबर 1862 मेसे एबीसीडी भू भाग (0.2000 हेक्टेयर) अंकित किये जावे और प्रार्थी के कब्जे काश्त अनुसार प्रार्थी के खातेदारी मे नये खसरा नंबर 1862 मेसे एबीसीडी भू भाग (0.2000 हेक्टेयर) राजस्व रेकर्ड मे अंकित एवं तरमीम किये जावे और साथ ही खसरा नंबर 1861 रकबा 0.2000 हेक्टेयर की कृषि भूमि को राजकीय बिलानाम संशोधित किये जाने व उसके अनुसार राजस्व रेकर्ड मे अमल दरामद किये जाने का आदेश पारित करना फरमावें ।

अप्रार्थी स्टेट की ओर से पैरोकार सरकार (ना.तह.सिरोही) ने अपनी बहसमे स्टेट तहसीलदार/सिरोही की ओर से प्रस्तुत जवाब तथा पटवारी हल्का सनपुर की मौका फर्द दिनांक 28–3–2018 मे अंकित तथ्यों को दोहराते हुये यह स्वीकार किया कि ग्राम सनपुर की जमाबंदी संवत 2071–2074 के खाता संख्या 72 अनुसार खसरा नंबर 1861/1863/1868 रकबा क्रमशः 0.2000 हेक्टेयर/0.3800 हेक्टेयर व 0.7100 हेक्टेयर कुल किता 3 कुल रकबा 1.2900 हेक्टेयर श्री गंगासिंह पुत्र हुकमसिंह जाति राजपूत के नाम पर राजस्व रेकर्ड मे बतौर खातेदार दर्ज है। जमाबंदी नकल संलग्न है। उक्त प्रार्थनापत्र के बिन्दु संख्या 2 का कथन सत्य होना बताया है। वर्तमान खसरा नंबर 1861 का पुराना खसरा नंबर 1265/1532 है तथा खसरा नंबर 1861 व 1862 के गत भूप्रबन्ध के खसरा नंबर 1265 मी. है अर्थात गत भूप्रबन्ध के खसरा नंबर 1265 से नवीन भूप्रबन्ध के खसरा नंबर 1861/1862 बने है। गत भूप्रबन्ध के नक्शे मे आवेदक के नाम कृषि भूमि का राजस्व नक्शे मे तरमीम नही था । नवीन भूप्रबन्ध के नक्शे मे भूप्रबन्ध विभाग द्वारा की गई तरमीम पर उसका कभी भी कब्जा व काश्त नही रहा है। आवेदक की अन्य खातेदारी भूमि से भूप्रबन्ध विभाग द्वारा तरमीम किया गया खसरा नंबर 1861 काफी दूर स्थित है तथा प्रार्थी उक्त खसरा नंबर को एबीसीडी अनुसार खसरा नंबर 1862 मे रकबा 0.20 हेक्टेयर दुरूस्त करवाना चाहता है जो प्रार्थी के खातेदारी भूमि के पास स्थित है तथा दोनो खसरा नंबर गत भूप्रबन्ध मे खसरा नंबर 1265 मी. से बने है। गत भूप्रबन्ध के खसरा संख्या 1265 मी. एक बडे चक के रूप मे था तथा उसमे से ही 0.20 हेक्टेयर भूमि का आवंटन हुआ था । भूमि आवंटन के सम्बन्ध मे प्रार्थी स्वंय सिद्व करना बताया है। प्रार्थनापत्र के पद संख्या 5 के सम्बन्ध मे निवेदन किया कि प्रार्थी की कृषि भूमि खसरा नंबर 1861 रकबा 0.20 हेक्टेयर पुराने खसरा नंबर 1265/1532 रकबा 0.20 हेक्टेयर थे तथा राजकीय बिलानाम भूमि खसरा नंबर 1862 के पुराने खसरा नंबर 1265 मी. थे तथा उक्त खसरा नंबर 1265मी. एक बडे चक के रूप मे था जो प्रार्थी की वर्तमान अन्य खातेदारी भूमि खसरा नंबर 1863/1868 से दूर स्थित है। तथा प्रस्तावित आवेदक द्वारा बताये कब्जे अनुसार खसरा नंबर 1862 मेसे रकबा 0.20 हेक्टेयर नक्शे व राजस्व रेकर्ड मे दुरूस्त करवाना चाहा हैं संलग्न पटवारी हल्का सनपुर द्वारा दिनांक 28–3–2018 को प्रार्थी व अन्य मौतबिरान की उपस्थिति मे मौका निरीक्षण किया गया उक्त मौका निरीक्षण के मुताबिक मौके पर प्रार्थी गंगासिंह पुत्र हुकमसिंह

हुकमसिंह राजपूत निवासी सनपुर की खातेदारी भूमि है। मौके पर प्रार्थी ने खसरा नंबर 1862 रकबा 2.67 हेक्टेयर राजकीय बिलानाम भूमि मेसे 0.2500 हैक्टेयर भूमि पर प्रार्थी ने बाड बनाकर कब्जा किया हुआ है तथा मौतबिरान ने बताया कि उक्त कब्जा काफी पुराना है। मौके पर खसरा नंबर 1861 रकबा 0.2000 हेक्टेयर भूमि पडत पडी है जिस पर प्रार्थी का कब्जा व काश्त नही है। मौतबिरानों ने बताया कि उक्त भूमि पर प्रार्थी का कब्जा कभी भी नही रहा है। अतः मौका अनुसार खसरा नंबर 1862 मे राजकीय बिलानाम भूमि पर प्रार्थी का कब्जा है तथा प्रार्थी के खातेदारी भूमि खसरा संख्या 1861 रकबा 0.2100 हेक्टेयर पडत पडी होना पटवारी हल्का सनपुर ने बताया है। पैरोकार सरकार ने अपनी बह समे प्रार्थीगण के खातेदारी एवं कब्जे काश्त की कृषि भमि जिसके पुराने खसरा नंबर 1265 मी. के स्थान पर नक्शा ट्रेस के अनुसार व अडौस पडौस की स्थिति अनुसार नये खसरा नंबर 1862 मेसे संलग्न नक्शे मे एबीसीडी भू भाग (0.2000 हेक्टेयर) को प्रार्थीगण के खातेदारी मे अंकित एवं तरमीम कये जाने और खसरा नंबर 1861 रकबा 0.2000 हेक्टेयर की कृषि भूमि को राजकीय बिलानाम संशोधित किये जाने व उसके अनुसार राजस्व रेकर्ड मे अमल दरामद किया जाने मे कोई आपत्ति नही होना बताया है।

हमने विचारण प्रकरण की मूल पत्रावली के संलग्न प्रार्थीगण का प्रार्थनापत्र संलग्न खसरा नंबर 1861 की जमाबंदी संवत 2071 से 2074/पुराने खसरा नंबर 1265 मी. संवत 2050 से 2053/खसरा नंबर 1862 की जमाबंदी संवत 2071 से 2074/नक्शा ट्रेस दो/मिलान क्षैत्रफल की प्रतियों तथा अप्रार्थी तहसीलदार/सिरोही द्वारा प्रस्तुत जवाब मय मौका फर्द पटवारी हल्का सनपुर दिनांक 28–3–2018 का गहनतापूर्वक अध्ययन कर उस पर मनन किया । वकील प्रार्थीगण तथा अप्रार्थी स्टेट पैरोकार सरकार (ना.तह. सिरोही) की उपरोक्त बहस पर भी गंभीरता से मनन किया । सम्पूर्ण प्रकरण के विश्लेषण व विवेचन के अनुसार यह स्पष्ट जाहिर होता है कि मौका फर्द अनुसार दौराने मौका जांच पर उपस्थित मौतबिरान ने भी बताया कि मृतक गंगासिंह के वारिसान कमशः जितेन्द्रसिंह/पिन्टाकुंवर/देसुकुंवर छोटुसिंह और पायल कुंवर का खसरा नंबर 1861 की भूमि पर कब्जा काश्त नही है इनका कब्जा काश्त खसरा नंबर 1862 मेसे नक्शा मार्क एबीसीडी भू भाग (0.2000 हेक्टेयर) पर रहा है। रेकर्ड अनुसार खसरा नंबर 1861 व 1862 मे एबीसीडी भू भाग का रकबा 0.2000 हेक्टेयर बराबर है उक्त दोनो खसरा नंबर पुराना खसरा नंबर 1265 मी. से बने है। उक्त तथ्यों को स्टेट तहसीलदार /सिरोही ने अपने जवाब तथा उसके आधार पर पैरोकार सरकार ने भी अपनी बहसमे स्वीकार किया है तथा मौका अनुसार खसरा नंबर 1862 मे राजकीय बिलानाम भूमि पर प्रार्थी का कब्जा है तथा प्रार्थी के खातेदारी भूमि खसरा संख्या 1861 रकबा 0.2100 हेक्टेयर पडत पडी होना पटवारी हल्का सनपुर ने भी बताया है। उपरोक्तानुसार राजस्व रेकर्ड मे हुई त्रुटि लिपिकिय त्रुटी की श्रेणी मे आने से न्यायहित मे दुरूस्त किया जाना अति आवश्यक है अन्यथा प्रार्थीगण सरकारी योजनाओं का लाभ लेने से वंचित हो सकता है तथा प्रार्थीगण को सरकारी कार्यो मे कई तरह की समस्याओं का सामना करने के साथ साथ नई समस्याऐ जन्म लेकर विचारण प्रकरण मे कई तरह की कानूनी उलझने भविष्य मे आ सकती है। अतः उपरोक्त सभी के आधार पर प्रार्थीगण का यह प्रार्थनापत्र अर्न्तगत धारा 136 एल.आर.एक्ट 1956 के तहत विरूद्व अप्रार्थी स्टेट तहसीलीदार/सिरोही का वास्ते राजस्व रेकर्ड मे दुरूस्ती करवाने का न्यायहित मे स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है तथा भूमिधारी अधिकारी (तहसीलदार /सिरोही) को आदेश दिया जाता है कि प्रार्थीगण के खातेदारी व कब्जे काश्त की कृषि भूमि जिसके पुराने खसरा नंबर 1265 मी. है के स्थान पर नक्शा ट्रेस के अनुसार व अडौस पडौस की स्थिति अनुसार नये खसरा नंबर 1862 मेसे संलग्न नक्शे मे मार्क एबीसीडी भू भाग (0.2000 हेक्टेयर) को प्रार्थीगण के खातेदारी मे अंकित एवं तरमीम किये जाने और खसरा नंबर 1861 रकबा 0.2000 हेक्टेयर की कृषि भूमि को राजकीय बिलानाम अंकित व तरमीम कर राजस्व रेकर्ड मे अमल दरामद किया जाकर पालना रिर्पोट शीघ्र इस न्यायालय मे भेजने की व्यवस्था सुनिश्चित करें ।निर्णय सरे ईजलास सुनाया गया । निर्णय मेरे हस्ताक्षर/पदनाम व न्यायालय की गोल मुहर से जारी किया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो ।